फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :– समस्त ग्रामवासी गन्दोलीखेडा विपक्षी :– राज्य

किस्म मुकदमा :– 136 एल.आर.एक्ट पत्रावली संख्या :– 194/25 विविध

जीसीएमएस नम्बर :– 2025/608

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 22.12.2025 समस्त ग्रामवासी ग्राम गन्दोलीखेडा एवं विशनपुरा ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि ग्राम पंचायत, लदानी राजस्व ग्राम गन्दोली खेडा की आराजी नम्बर 184 रकबा 1.0603 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 531/189 रकबा 0.0081 हैक्टेयर किस्म आ.चा. है। लेकिन आराजी नम्बर 531/189 आ.चा. रकबा 0.0081 हैक्टेयर बिलानाम रास्ते में दर्ज होकर ऑनलाईन चेक करने पर पुरा रास्ता खाता संख्या 146 के खातेदारों के नाम दर्ज बता रहा है। इस रास्ते पर वर्षों से सिंचाई विभाग की नहर (आराजी नम्बर 189) के धोरे बने हुए हैं एवं सभी किसान इस रास्ते से होकर खेतों में आ जा रहे थे। लेकिन अभी इन खातेदारों ने इस जमीन पर जाने से मना कर दिया और कहा कि यह जमीन हमारे खाते दर्ज हो गई है और हमारी है। हम नहीं जाने देंगे। विगत दो तीन माह पूर्व इस रास्ते की जमीन को खातेदारी जमीन में मिला दिया व एक जगह पर अवैध केबीन लगाकर दुकान लगा दी एवं रास्ता बन्द कर दिया। प्रार्थना पत्र के अन्त में खाते को शुद्ध कर रास्ते पर हुए अतिक्रमण को हटाकर किसानों को राहत प्रदान करने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार, मावली से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार, मावली ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि राजस्व रिकार्ड अनुसार ग्राम गन्दोलीखेडा की आराजी नम्बर 531/189 रकबा 0.0081 हैक्टेयर किस्म आ.चा. कुआ खातेदार कन्हैयादास पुत्र बन्शीदास वैरागी 1/9 हिस्सा वगैरह शामलात खातेदारी दर्ज रिकार्ड होकर मूल नक्शे में कुआ अंकित है। वक्त सेग्रीगेशन सेहवन से नक्शे को ऑनलाईन करते समय भू–नक्शा में आराजी नम्बर 531/189 कुआ अंकित नहीं हुआ साथ ही कुआ दर्ज करने हेतु कुए की नक्शा तरमीम प्रस्तुत की गई। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर [illegible] तहसीलदार मावली द्वारा रिपोर्ट/अनुशंसा की गई [illegible] लीखेडी की आराजी नम्बर 531/189 रकबा [illegible] आ.चा. मूल नक्शे [illegible] अंकित	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.01.21 16:55:39 IST
Reason: SelfAttested

था किन्तु वक्त सेग्रिगेशन सेहवन से भू–नक्शा में तरमीम दर्ज होने से रह गई एवं उक्त आ.चा. की भू–नक्शा में तरमीम करने हेतु तरमीम प्रस्तावित की गई। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि आराजी नम्बर 531/189 रकबा 0.0081 हैक्टेयर किस्म आ.चा. मूल नक्शे में अंकित था किन्तु वक्त सेग्रिगेशन सहवन से उक्त आ.चा. भू–नक्शा में दर्ज नहीं किया गया। जब कि राजस्व कर्मचारियो को रिकॉर्ड ऑनलाईन करते समय लट्ठा नक्शा अनुसार ही ऑनलाईन नक्शे में अंकित करना था। परन्तु राजस्व कर्मचारियो द्वारा ऐसा नही किया और आराजी नम्बर 531/189 की सेग्रीगेशन के नक्शे में तरमीम ही नही की गई। उक्त त्रूटि को स्वयं तहसीलदार द्वारा स्वीकार किया गया है। ऐसे में साबिक नक्शे अनुसार सेग्रिगेशन के नक्शे में तरमीम किए जाने के आदेश दिए जाना न्यायोचित पाया जाता है जिसके संबंध में तहसीलदार द्वारा साबिक नक्शे अनुसार प्रस्तावित नक्शा ट्रेस की प्रति पेश की गई है।

:: आदेश ::

समस्त ग्रामवासी ग्राम गन्दोलीखेडा एवं विशनपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार मावली द्वारा प्रस्तुत ग्राम गन्दोलीखेडा की आराजी नम्बर 531/189 रकबा 0.0081 हैक्टेयर किस्म आ.चा. की तरमीम राजस्व नक्शे में साबिक नक्शे/प्रस्तावित नक्शे अनुसार किए जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार, मावली द्वारा प्रस्तुत नक्शा तरमीम आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.01.21 13:55:39 IST
Reason: SelfAttested